कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा (म0प्र0)

–::विज्ञप्ति::–

सर्वसाधारण को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर में स्थित नवनिर्मित अभिलेखागार में अभिलेख रखने हेतु लगभग 80 नग स्लोटेड एंगल मे रैक साइज 8'X4'X18" क्रय किये जाने हेतु प्रतिष्ठित संस्थाओं मं से म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियम 11.2 के अंतर्गत निर्धारित शर्तों के अधीन खुली निविदा सील बंद लिफाफे में आमंत्रित की जाती है, निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 30.07.2021 सांय 5.00 बजे तक है, अंतिम दिनांक तक प्राप्त समस्त निविदायें, निविदाकर्ता एवं क्रय समिति, जिला न्यायालय की उपस्थित में दिनांक 31.07.2021 को सांय 5.00 बजे खोली जावेगी, विस्तृत निविदा शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय के वेबसाइट www.mphc.in, एवं शासकीय टेंडर पोर्टल www.tenders.gov.in पर उपलब्ध है।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा म0प्र0

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा म0प्र0

–तकनीकी विड–

क0	सामग्री	संख्या	तकनीकी विवरण
01	स्लोटेड़ एंगल रैक साइज 8x4x18	80 नग	स्लोटेड एंगल रैक साइज 8 फीटx4फीटx18 इंच एंगल 14 गेज स्लोटेड़, शेल्फ 22 गेज एम0एस0 शीट, शेल्फ गेप 18 इंच।

–वित्तीय विड–

–:: आवश्यक निर्देश ::–

1. वित्तीय विड(रूपये में) समस्त कर, इंस्टालेशन चार्ज, भाड़ा इत्यादि सहित।
2. विड दरों में ऑलसाईट वारटी एवं टैक्निकल सर्पोट समाहित हो।
3. सभी प्रकार के करों एवं क्रय मूल्य का खुलासा एवं सकल योग स्पष्ट रूप से निविदा में अंकित किया जावे।

निविदाकर्ता संस्था का नाम..

कंपनी ....

मॉडल ....

क0	सामग्री विवरण	प्रति नग दर	टैक्स विवरण	कुल मूल्य
01	स्लोटेड एंगल रैक साइज 8x4x18(including Installation, freight and other charges.)			

विड का कुल मूल्य(रूपये में) ....

विड का कुल मूल्य(शब्दों में) ....

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर एवं सील..

निविदाकर्ता का नाम ....

संपूर्ण पता ....

दुरभाष नं0 एवं ईमेल आईडी ....

दिनांक ....

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा म0प्र0

–निविदा शर्तें–

1. निविदा दस्तावेज़ एवं सीलबंद लिफ़ाफ़े में ज़िसके अन्दर दो पृथक सीलबंद लिफाफे (तकनीकी ब्रिड एवं वित्तीय बिड़) के साथ ज़मा किये जावेंगे। कोई भी निविदा विज्ञप्ति में दर्शित अंतिम दिनांक के बाद स्वीकार नहीं की ज़ावेगी। पोस्ट अथवा कोरियर से निविदाओं को भेज़ा ज़ा सकेगा, किन्तु इस माध्यम से समय उपरांत प्राप्त निविदाओं के लिये कार्यालय ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा उत्तरदायी नहीं होगा।
2. निविदाकर्ता द्वारा तकनीकी बिड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम रू0 10000/–मूल्य की प्रतिभूति राशि जमा किये ज़ाने बावत सहमति पत्र, निविदा शर्तें मानने बावत हस्ताक्षरित पत्र, विगत 03 वित्तीय वर्षों का आयकर रिटर्न, सर्विस टैक्स पंजीयन, जी0एस0टी रज़िस्ट्रेशन, पैन नंबर, मान्य टिन नंबर, कंपनी प्रोफाइल/ टर्न ओव्हर समाहित होगा। इसके अतिरिक्त निविदाकर्ताओं को सामग्री की सपोर्ट में न्यूनतम 03 वर्षों का अनुभव प्रमाण–पत्र तथा विगत 03 वर्षों में केन्द्र शासन/राज्य शासन/प्रतिष्ठित निजी संस्थान में सप्लाई संबंधी जानकारी तकनीकी बिड़ में प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
3. इस कार्यालय द्वारा सूचना दिये जाने के 15 दिवस के अन्दर सफल निविदाकर्ता द्वारा राशि रू0–10000/– की प्रतिभूति राशि जमा करने पर ही समग्री का क्रय आदेश जारी किया ज़ावेगा।
4. सफल निविदाकर्ता द्वारा क्रय की ज़ाने वाली सामग्री प्रदाय एवं इंस्टालेशन किये जाने के उपरांत विभागीय क्रय समिति द्वारा निविदा अनुरूप गुणवत्ता एवं निर्धारित मानक अनुसार पाये जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत ही देयक भुगतान की कार्यवाही की जावेगी अन्यथा सामग्री मूलतः विक्रेता के व्यय पर वापिस की जावेगी।
5. तकनीकी विड का लिफाफा समस्त निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में दिनांक 31.07.2021 को खोला ज़ावेगा। यदि निविदाकर्ता का कोई प्रतिनिधि उपस्थित होना चाहता है तो निविदाकर्ता को इस बावत संस्था द्वारा अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना होगा। तकनीकी ब्रिड में दर्शित दस्तावेजों एवं निविदा शर्तों के मूल्यांकन पश्चात् क्रय समिति द्वारा बिड में दर्शित सामग्री के तकनीकी मापदंडो में सफल पाये जाने पर ही निविदाकर्ता की वित्तीय बिड का लिफाफा खोला जावेगा।
6. सफल निविदाकर्ता को क्रय आदेश जारी होने के पश्चात क्रय आदेश मूल्य के 05 प्रतिशत मूल्य की राशि निष्पादन प्रतिभूति के रूप में

डी0डी0 / एफ0डी0आर0 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा के नाम जमा करानी होगी, जो इंस्टालेशन होने से 60 दिवस की अवधि तक मान्य होगी। उक्त निष्पादन प्रतिभूति के प्राप्त होने के पश्चात सफल निविदाकर्ता को पूर्व में जमा प्रतिभूति राशि लौटा दी जावेगी। सभी निविदाकर्ता निर्धारित आई0एस0ओ0 प्रमाण–पत्रों का पालन सुनिश्चित करें।

7. निविदाकर्ता द्वारा निविदा में ऑनसाईट वारण्टी न्यूनतम एक वर्ष की प्रदान किया जाना आवश्यक होगा। वारण्टी अवधि में किसी प्रकार की समस्या आने पर 02 कार्य दिवसों में ठीक कराया जाना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त सफल निविदकर्ता को क्रय आदेश जारी होने के अधिकतम 15 दिवस के अन्दर सामग्री प्रदाय कर इंस्टालेशन कराया जाना होगा।
8. समस्त निविदाएं तथा उनमें दर्शित दरें तकनीकी बिड खोले जाने की दिनांक से न्यूनतम 03 माह की अवधि तक मान्य होना आवश्यक है। ऐसा न होने की दशा में निविदा निरस्त करते हुये प्रतिभूति राशि जप्त की जा सकती है।
9. सफल निविदाकर्ता द्वारा निर्धारित समय में सामग्री का इंस्टालेशन रीवा जिला न्यायालय में किया जावेगा।
10. किसी भी समय बिना किसी कारण के संपूर्ण निविदा अथवा किसी सामग्री को निविदा से खारिज करने एवं निविदा से संबंधित सभी अधिकार जिला न्यायाधीश महोदय के अधीन सुरक्षित रहेंगे।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
रीवा(म0प्र0)